



## छत्तीसगढ़ विधान सभा पत्रक भाग – दो

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025 (आषाढ़-24, 1947)

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 हेतु निर्धारित अशासकीय  
संकल्पों की सूचना।

(क्रमांक – 07)

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में निवासरत भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद व पाण्डो जनजाति सरगुजा और बलरामपुर जिलों में निवासरत जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाए।"

(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्रीमती अंबिका मरकाम)

(क्रमांक – 08)

सदन का यह मत है कि 'प्रसंस्कृत अनाज (पक्के माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।"

(प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री अजय चन्द्राकर)

दिनेश शर्मा  
सचिव.